

# कार्यालय-पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आगरा।

दिनांक 18/9/2021

पत्रांक 172 / पि0व0क0 / दशमो0 / छात्रवृत्ति / 2021-22

- 1- कुल सचिव, डा0 बी0आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय दयालवाग आगरा।
  - 2- प्रबन्धक / सचिव / प्राचार्य / निदेशक  
समस्त महाविद्यालय कालेज / टैक्नीकल कालेज / मैडिकल / आई0टी0आई0 / बी0टी0सी0 / बी0एड0, इत्यादि आगरा।
  - 3- प्रधानाचार्य समस्त इन्टरमीडियेट कॉलेज, आगरा
  - 4- प्रधानाचार्य समस्त हाईस्कूल कॉलेज, आगरा।
- विषय:- वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर / पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आवेदन पत्रों को समय-सारणी के अनुसार अग्रसारित करने एवं 02 अक्टूबर, 2021 को कैम्प लगाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक शासन द्वारा क्रमशः शासनादेश संख्या 84 / 2021 / 1868 / 26-3-2021-4(358) / 07 टी0सी0 III समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2021, शासनादेश संख्या 85 / 2021 / 1867 / 26-3-2021-4(215) / 90 टी0सी0 III समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2021 के द्वारा 01 अक्टूबर, 2021 तक नवीनीकरण के छात्रों को पी0एफ0एम0एस0 सर्वर लखनऊ के माध्यम से धनराशि अन्तरित की जायेगी। प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री की प्राथमिकता कार्यक्रमों से सम्बन्धित है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि यथा शीघ्र छात्रों से नवीनीकरण के आवेदन भरवाते हुए तथा पूर्ण परीक्षण करते हुए तत्काल अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, जिससे पात्र छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हो सके।




(शिखी यादव)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी  
आगरा।

पृष्ठांक संख्या व तद् दिनांक उपरोक्तानुसार

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- 1-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी आगरा।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी आगरा।
- 4-उप निदेशक, जन सम्पर्क सूचना विभाग आगरा को इस अनुरोध के साथ कि जनपद में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 4 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी / संयुक्त निदेशक (प्रशि0 / शिशु) / जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को इस आशय के साथ कि आप अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।



जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी  
आगरा।

# कार्यालय-पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आगरा।

पत्रांक 172/पि०व०क०/दशमो०/छात्रवृत्ति/2021-22

दिनांक 18/9/2021

- 1- कुल सचिव, डा० बी०आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय दयालवाग आगरा।
  - 2- प्रबन्धक / सचिव / प्राचार्य / निदेशक  
समस्त महाविद्यालय कालेज / टैक्नीकल कालेज / मैडिकल / आई०टी०आई० / बी०टी०सी० / बी०एड०, इत्यादि आगरा।
  - 3- प्रधानाचार्य समस्त इन्टरमीडियेट कॉलेज, आगरा
  - 4- प्रधानाचार्य समस्त हाईस्कूल कॉलेज, आगरा।
- विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर/पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आवेदन पत्रों को समय-सारणी के अनुसार अग्रसारित करने एवं 02 अक्टूबर, 2021 को कैंप लगाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक शासन द्वारा क्रमशः शासनादेश संख्या 84/2021/1868/26-3-2021-4(358)/07 टी०सी० III समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2021, शासनादेश संख्या 85/2021/1867/26-3-2021-4(215)/90 टी०सी० III समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2021 के द्वारा 01 अक्टूबर, 2021 तक नवीनीकरण के छात्रों को पी०एफ०एम०एस० सर्वर लखनऊ के माध्यम से धनराशि अन्तरित की जायेगी। प्रकरण मा० मुख्यमंत्री की प्राथमिकता कार्यक्रमों से सम्बन्धित है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि यथा शीघ्र छात्रों से नवीनीकरण के आवेदन भरवाते हुए तथा पूर्ण परीक्षण करते हुए तत्काल अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, जिससे पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हो सके।

(शिखी यादव)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी  
आगरा।

पृष्ठाकन संख्या व तद् दिनांक उपरोक्तानुसार

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- 1-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी आगरा।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी आगरा।
- 4-उप निदेशक, जन सम्पर्क सूचना विभाग आगरा को इस अनुरोध के साथ कि जनपद में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 4 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/संयुक्त निदेशक (प्रशि०/शिश्)/जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को इस आशय के साथ कि आप अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी  
आगरा।